

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.20/2020/61

दिनांक: 23.03.2020

आदेश

माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के पूर्व प्रसारित परिपत्रों एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2020 दिनांक 22.03.2020 की अनुपालना में कोरोनावायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु न्यायक्षेत्र करौली में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को निम्न प्रकार अधिकृत किया जाता है :-

जिला मुख्यालय करौली :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	ADJ Karauli	ACJM Karauli	23.03.2020 & 24.03.2020
02	ADJ Karauli	ACJ & JM Karauli	26.03.2020
03	Sp. Judge SC/ST Karauli	ACJ & JM Karauli	27.03.2020
04	Sp. Judge SC/ST Karauli	CJ & JM Karauli	28.03.2020, 30.03.2020 & 31.03.2020

तालुका मुख्यालय हिण्डौन सिटी :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	ADJ No. 01 Hindauncity	CJ & JM Hindauncity	23.03.2020 & 24.03.2020
02	ADJ No. 02 Hindauncity	ACJ & JM No. 01 Hindauncity	26.03.2020, 27.03.2020 & 28.03.2020
03	ADJ No. 01 Hindauncity	ACJM Hindauncity	30.03.2020 & 31.03.2020

उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि:-

01. आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई Vidyo/whatsapp/skype or voice call के माध्यम से की जावे।
02. आवश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र केवल विभागीय ई-मेल आई.डी. पर इस शर्त के अधीन प्राप्त किये जावें कि न्यायालय में नियमित कार्य पुनः प्रारंभ होने पर संबंधित द्वारा हार्ड कॉपी/मूल कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी।
03. संबंधित अधिकारी अपने न्यायालय का आवश्यक स्टॉफ कार्य हेतु बुलावें व सुरक्षा मानकों के अनुसार स्टॉफ की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
04. संबंधित अधिकारीगण पारित किये गये आदेशों पर हस्ताक्षर उपरान्त अविलम्ब सी. आई.एस. पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
05. संबंधित अधिकारीगण आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई न्यायालय में मात्र 02:00 पी.एम. से 04:00 पी.एम. के मध्य करें।

42
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.20/2020/1754-80

दिनांक: 23.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय करौली
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-करौली
3. विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, करौली
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली/क्रम-1/क्रम-2 हिण्डौनसिटी
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्या.निवा.) प्रकरण, करौली
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
7. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन
9. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड करौली
10. सि.न्या. एवं न्या.मजि., करौली/हिण्डौन/टोडाभीम/श्रीमहावीरजी/नादौती/
सपोटरा
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली/सं.01 हिण्डौनसिटी
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय हिण्डौन
13. रीडर ग्रेड-प्रथम, जिला न्यायालय करौली
14. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, करौली/हिण्डौन/टोडाभीम/श्रीमहावीरजी/नादौती/
सपोटरा

42
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
करौली (राज0)